

कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून
 वनादेश सं० 46/1-13(13) देहरादून दिनांक, 29 मई, 2019

पदोन्नति/तैनाती आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक क-1308/1-3(3) दिनांक 17-12-2018 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 18-12-2018 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को वेतनमान रू० 47600-151100 लेवल-8 से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू० 56100-177500 लेवल-10 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री तरुण कुमार भट्ट	प्र०व० तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी	प्र०व० तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर
2	श्री वीरेन्द्र प्रसाद पोखरियाल	अति० भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर	प्र०व० तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी
3	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ नैनीताल	मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ नैनीताल
4	कु० चित्रा जोशी	वन वर्धनिक साल क्षेत्र हल्द्वानी	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, हल्द्वानी
5	श्री हरीश चन्द्र गैरोला	प्र०व० गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी	प्र०व० गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

1. उक्त अधिकारियों द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 सं० 11/xxvii(7)30(14)/2017 दिनांक 04-03-2017 के संलग्नक-1 के बिन्दु सं० 22 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित अधिकारी दिनांक 10-06-2019 तक अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

3. अधिकारी की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को अधिकारी के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

4. स्थानान्तरण की स्थिति में नियंत्रक अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित किया जाय तथा जिन कार्यालयों में योगदान दिया जाना है में नियंत्रक अधिकारी तभी योगदान स्वीकृत करें जब संबंधित कार्यालय से कार्यमुक्ति हेतु आदेश जारी किया गया हो।

(जय राज) 29/05/19
 प्रमुख वन संरक्षक, HoFF
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश सं० 46 (1)/13(13) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
2. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. मु०व०सं०, आई०टी०जी०सी०, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

F. T. G. C.
 E. M. S. S. S.
 29/5/19

(जय राज) 29/05/19
 प्रमुख वन संरक्षक, HoFF
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून
 वनादेश सं० 48/1-13(13) देहरादून दिनांक, 29 मई, 2019

पदोन्नति / तैनाती

वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के पत्रांक 1117/1-13(3) दिनांक 19-01-2019 के द्वारा अग्रसारित श्री सूरत लाल पटोई के प्रत्यावेदन जिसके द्वारा उन्होंने अपने स्वास्थ्य ठीक न रहने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है तथा श्री खडक सिंह बेलवाल द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन जिसके द्वारा उन्होंने माह अक्टूबर, 2019 में सेवा निवृत्ति होने एवं पारिवारिक परिस्थितियां खराब होने के सम्बन्ध में अवगत कराया है, का संज्ञान लेते हुए इस कार्यालय के वनादेश सं० 18/1-13(13) दिनांक 21-12-2018 द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर की गयी पदोन्नति आदेश को निम्नानुसार आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है :-

वनादेश सं० 18/1-13(13) की क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय	संशोधित तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4	5
14	श्री सूरत लाल	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती	प्र०व० टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती
16	श्री खडक सिंह बेलवाल	प्र०व० सिविल सोयम वन प्रभाग पौड़ी	निदेशक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर	प्र०व० सिविल सोयम वन प्रभाग पौड़ी

1. उक्त कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 सं० 11/xxvii(7)30(14)/2017 दिनांक 04-03-2017 के संलग्नक-1 के बिन्दु सं० 22 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रतत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित कार्मिक दिनांक 05-06-2019 तक अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

3. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

(जय राज) 29/05/19

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF

उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश सं० 48 (1)/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
2. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
4. मु०व०सं०, आई०टी०जी०सी०, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
5. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(जय राज) 29/05/19

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF

उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून
 वनादेश सं० 16 / 1-13(13) देहरादून दिनांक, 29 मई, 2019

संशोधित पदोन्नति / तैनाती

इस कार्यालय के वनादेश सं० 13/1-12(20) दिनांक 03-05-2019 द्वारा वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पदों पर की गयी पदोन्नति आदेश को निम्न कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों एवं चिकित्सा अभिलेखों का संज्ञान लेते हुए विशेष परिस्थितियों में निम्नानुसार आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है:-

वनादेश सं० 13/1-13(13) की क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय	संशोधित तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4	5
03	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	व०सं० पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी	प्र०व० पिथौरागढ वन प्रभाग पिथौरागढ	व०सं० पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी
04	श्रीमती बीना पाण्डे	प्र०व० हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी	प्र०व० चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत	मु०व०सं०, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी
05	श्री देवेन्द्र जोशी	प्र०व० हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी	प्र०व० चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत	वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड, नैनीताल
06	श्री पंकज उप्रेती	प्र०व०सं० वन पंचायत हल्द्वानी	मु०व०सं० वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी देहरादून	मु०व०सं० कार्य योजना हल्द्वानी (व०सं० कार्य योजना हेतु)
14	श्रीमती निधि गुसाईं	व०सं० पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी	वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड नैनीताल	वन वर्धनिक, साल क्षेत्र हल्द्वानी
18	श्री गोविन्द बल्लभ जोशी	निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी	प्र०व० पिथौरागढ वन प्रभाग पिथौरागढ	मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना हल्द्वानी

1. संबंधित कार्मिक दिनांक 05-06-2019 तक अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

2. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश सं० 16 (1) / 1-13(13) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
2. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
4. मु०व०सं०, आई०टी०जी०सी०, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
5. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं० 47 / 1-13(13) देहरादून दिनांक, 29 मई, 2019

पदोन्नति/तैनाती आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक क-1308/1-3(3) दिनांक 17-12-2018 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 18-12-2018 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रधान सहायक वेतनमान 35,400-1,12,400 वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के कार्मिकों को प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 44,900-1,42,400 वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्रीमती कमला त्रिपाठी	अ०प्र०व०सं०, वन अनुसंधान प्रशिक्षण एवं प्रबंधन हल्द्वानी	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत हल्द्वानी
2	श्रीमती अंजू तिवाड़ी	मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना हल्द्वानी	मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना हल्द्वानी (वन संरक्षक कार्य योजना हेतु)
3	श्री विनय पाण्डेय	अ०प्र०व०सं० नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून	अ०प्र०व०सं० नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन उत्तराखण्ड देहरादून।
4	श्री तारा देवी	प्र०व० लैन्सडॉन वन प्रभाग, कोटद्वार	प्र०व० भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैसडोन
5	श्री तारी राम	मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ नैनीताल	मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ नैनीताल

1. उक्त कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 सं० 11/xxvii(7)30(14)/2017 दिनांक 04-03-2017 के संलग्नक-1 के बिन्दु सं० 22 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित कार्मिक दिनांक 10-06-2019 तक अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

3. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

4. स्थानान्तरण की स्थिति में नियंत्रक अधिकारी द्वारा संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित किया जाय तथा जिन कार्यालयों में योगदान दिया जाना है में नियंत्रक अधिकारी तभी योगदान स्वीकृत करें जब संबंधित कार्यालय से कार्यमुक्ति हेतु आदेश जारी किया गया हो।

(जय राज) 29/05/19

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश सं० 47 (1) / 1-13(13) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
2. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
4. मु०व०सं०, आई०टी०जी०सी०, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
5. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(जय राज) 29/05/19

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF
उत्तराखण्ड, देहरादून।